

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

वि.सं. - 07/2018 के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधीन बी. एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में संगीत विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु वि.सं.— 07/2018 के अन्तर्गत अर्हित/अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए अनर्हित अभ्यर्थियों से अपनी अनर्हता पर आपत्ति होने के स्थिति में दिनांक-06.05.2019 तक आपत्ति अभ्यावेदन की मांग की गयी थी। तदालोक में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों के साथ संलग्न साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्रों के समीक्षोपरांत एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र संख्या-326, दिनांक-11.02.2020 के साथ संलग्न विभाग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति के निर्णय के आलोक में निम्नलिखित उम्मीदवारों को अनर्हित से पूर्णतः औपबधिक रूप से अर्हित करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.सं.	नाम	पंजीयन संख्या	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	स्नेहा कुमारी	201807000030	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
2.	निधि मिश्र	201807000047	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
3.	कामेश्वर कुमार	201807000069	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
4.	मा अमृत दिशा	201807000105	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
5.	चन्द्र किरण रीणा	201807000122	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
6.	मधुलता	201807000146	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
7.	प्रशान्त रत्न	201807000230	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
8.	अल्पना सिंह	201807000254	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
9.	विभा भारती	201807000257	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
10.	लालति कुमारी	201807000259	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
11.	गिरिधर कुमार श्रीवास्तव	201807000265	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
12.	मुकुल आनन्द	201807000275	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
13.	नेहा श्रीवास्तव	201807000281	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
14.	स्मिता आनन्द	201807000283	अर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
15.	अंजु बाला	201807000014	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
16.	प्रिया लक्ष्मी	201807000056	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
17.	रितेश कुमार चौधरी	201807000072	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
18.	आरती	201807000111	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
19.	पंकज कुमार शर्मा	201807000118	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
20.	लाल बाबु निराला	201807000148	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
21.	रामेश कुमार राव	201807000174	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
22.	अवधेश कुमार भट्ट	201807000187	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
23.	श्यामा कुमार भारती	201807000190	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
24.	ज्योति सिन्हा	201807000203	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
25.	सतीश कुमार	201807000238	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
26.	पंकज कुमार पटेल	201807000239	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
27.	ऋचा वर्मा	201807000240	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
28.	आनंद कुमार	201807000242	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
29.	नीरज कुमार	201807000244	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
30.	नुपुर चक्रवर्ती	201807000248	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित
31.	अनामिका कुमारी	201807000284	अनर्हित	औपबधिक रूप से अर्हित

2. शेष निम्नलिखित उम्मीदवारों विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए पुनः अनर्हित की श्रेणी में यथावत रखा गया है:-

201807000070	201807000082	201807000144	201807000170	201807000179	201807000192	201807000195
201807000216	201807000245	201807000246	201807000268	201807000276	201807000277	201807000285
201807000289	201807000291	201807000295	201807000296	201807000300	201807000301	201807000303
201807000304	201807000309					

3. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2822 दिनांक-03.12.2019 द्वारा आयोग को यह मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि जो अभ्यर्थी मात्र संगीत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत शब्द जिनके प्रमाण पत्रों में अंकित हैं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं, को ही अर्हित किया जाय। तदनुसार कार्रवाई करते हुए दिनांक-27.01.2020 को आयोग के वेबसाइट पर कुल 08 (आठ) अभ्यर्थियों को अर्हित तथा शेष अभ्यर्थियों को अनर्हित करते हुए सूची आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया तथा अर्हित (नियमानुकूल 2x5=10 अभ्यर्थियों से कम) अभ्यर्थियों की साक्षात्कार दिनांक-18.02.2020 को निर्धारित किया गया।
4. आरती, निबंधन संख्या-201807000111 के द्वारा CWJC No.../2020 Arti Vs The State of Bihar & Other माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर कर अपने को अर्हित करने का अनुरोध किया गया। उक्त वाद के आलोक में आयोग के पत्रांक-2938 दिनांक-10.02.2020 से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को अवगत कराते हुए पूर्व में दिए गए मार्गदर्शन पर पुनः विचार करने एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने अपने पत्रांक-326 दिनांक-11.02.2020 से मार्गदर्शन देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में कंठ संगीत एवं वाद्य संगीत यथा-सितार, सरोद, वायलिन, बॉसुरी, तबला आदि विषयों में उत्तीर्ण हैं तथा NET, Hindustani Music/(Vocal/Instrumental) में उत्तीर्ण है उन्हें अर्हित किया जा सकता है।

उक्त पत्र के आलोक में पुनः समीक्षा की गई एवं पाया गया कि 31 अभ्यर्थी मार्गदर्शन के अनुरूप अर्हित है एवं विज्ञापन के अन्य शर्तों को पुरा करते हैं। अतः पूर्व के 8 अभ्यर्थियों की प्रदर्शी सूची को रद्द करते हुए औपबधिक रूप से अर्हित 31 अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

5. सहायक प्राचार्य 2014 के नियुक्ति नियमावली के संगत कंडिकाओं के आलोक में कोटिवार रिक्ति के पाँच गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाना है। अतः औपबधिक रूप से अर्हित 31 अभ्यर्थियों की मेधासूची में कोटिवार पाँच गुणा अभ्यर्थियों कुल 10 (दस) अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिनका साक्षात्कार पूर्व निर्धारित तिथि/समय पर (दिनांक-18.02.2020, समय 10:30 बजे) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
6. उपर्युक्त औपबधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार देय अधिभार अंकों के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची में से नियमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को आरक्षण कोटिवार एवं मेधाक्रमानुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है।
7. विज्ञापन संख्या-07/2018 के अन्तर्गत मेधाक्रमानुसार चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक-18.02.2020 को आयोजित किया जाएगा। विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम एवं आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
8. साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार अधिभार अंकों का Cut-off Marks निम्न प्रकार है:-

Sl.No	Category	Cut-off Marks
1.	GEN(01)	73.20
2.	EBC (04)	54.05

9. वैसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त Cut-off अधिभार अंक के समतुल्य अथवा उससे अधिक अंक होने का दावा हो, तथा जिन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, से अपनी अधिभार अंकों की गणना तालिका एवं संगत प्रमाण-पत्रों/अंक पत्रों के साथ अपना आपत्ति अभ्यावेदन मात्र e-mail: bpscpat-bih@nic.in पर दिनांक-16.02.2020, 5:00 बजे संध्या तक भेज सकते हैं। दिनांक-16.02.2020, 5:00 बजे संध्या के बाद प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने Ph.D/M.Phil with UGC Regulation 2009 का दावा किया है, उन्हें स्पष्ट रूप से निदेश दिया जाता है कि वे अपने Ph.D. निबंधन संख्या, तिथि सहित प्रमाण पत्र अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करेंगे।

(i) Pre Ph.D प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(ii) Ph.D/M.Phil कितने एवं कौन-कौन Criteria से उत्तीर्ण हैं, से सम्बंधित प्रमाणपत्र। मात्र Criteria की संख्या लिखने से सम्बंधित प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

साक्षात्कार की तिथि को यदि उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनके Ph.D/M.Phil की उपाधि को without UGC Regulation 2009 के अंतर्गत माना जायेगा और तदनुसार ही उन्हें अधिभार अंक दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता प्रथम स्तर पर Ph.D with UGC Regulation 2009 के आधार पर स्वीकृत की गयी है, की अभ्यर्थिता अस्वीकृत हो सकती है, अर्थात् वे अभ्यर्थी No NET, Ph.D without UGC Regulation 2009 के कारण अनर्हित समझे जायेंगे और उसकी जबावदेही सम्बंधित अभ्यर्थी की होगी।

11. साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे जिस विधा (कंठ संगीत एवं वाद्य संगीत यथा-सितार, सरोद, वायलिन, बॉसुरी, तबला आदि) में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किए हैं उस विधा के वाद्य यंत्र (Instrument) के साथ साक्षात्कार में शामिल होंगे। इसके लिए आयोग स्तर से किसी उम्मीदवार को कोई वाद्य यंत्र (Instrument) उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों की अर्हता पूर्णतः औपबधिक है। उनकी अर्हता पर यथासमय समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना